//कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0)//

//विविध आदेश //

क्रमांक..23../आपदा प्रबंधन/2020, अलीराजपुर, दिनांक 15/04/2020

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के परिपत्र कमांक क्यू. 06 जबलपुर दिनांक 14.04.2020 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र कमांक क्यू. 05 दिनांक 25.03.2020 में जारी निर्देशों की प्रभावशीलता लॉकडाउन अवधि दिनांक 03.05.2020 तक बढायी गई है।

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के परिपत्र कमांक क्यू.05 जबलपुर दिनांक 25.03.2020 में कोविड–19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में कार्यालयीन परिपत्र कमांक 08 दिनांक 26.03.2020 द्वारा जारी निर्देश लॉकडाउन अवधि दिनांक 03.05.2020 तक प्रभावशील रहेगा।

उक्त आदेश का पालन समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं तृतीय /चतुर्थ श्रेणी/ कर्मचारीगण पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार पालन करें।

संलग्नः–
01.कार्यालयीन परिपत्र कमांक 08 दिनांक 26.03.2020 ।
02.क्यू. 05. जबलपुर दिनांक 25.03.2020।
03.क्यू.6 दिनांक 14.04.20 की प्रतिलिपि।

Sd

(कृष्ण गोपाल सुरेका)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीराजपुर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक...339.../आपदा प्रबंधन/2020, अलीराजपुर, दिनांक 15/04/2020

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. अध्यक्ष,अभिभाषक संघ, अलीराजपुर/जोबट।
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण अलीराजपुर/जोबट की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीराजपुर।
5. प्रभारी अधिकारी, कंप्यूटर अनुभाग, अलीराजपुर/जोबट, सिस्टम ऑफिसर/आई.टी. असिस्टेंट, अलीराजपुर/जोबट की ओर समस्त न्यायिक अधिकारी गण को ई–मेल से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

6. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग न्यायालय, अलीराजपुर/जोबट की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि, न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार एवं कार्यालय के सूचना पटल पर संलग्न नोटिस चस्पा करवाया जावे।
7. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
8. पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. संचालक, जनसंपर्क संचानालय अलीराजपुर की ओर इस अनुरोध के साथ की सभी दैनिक सामाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।
10. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सूनिश्चित की जावे एवं समस्त कर्मचारियों को सूचित कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. जिला नाजिर/नायब नाजित अलीराजपुर/जोबट की ओर इस निर्देश के साथ की एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
12. लेखापाल कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15-4-20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीराजपुर (म0प्र0)

//कार्यालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म0प्र0)//
//परिपत्र //

क्रमांक....08.........../लेखा/2020, अलीराजपुर, दिनांक 26/03/2020

विषय :— कोविड—19 राष्ट्रव्यापी लॉक—डाउन के दौरान न्यायालयीन कार्य व्यवस्था बाबत।

संदर्भ :— माननीय रजिस्ट्री जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक क्यू—5 जबलपुर दिनांक 25.03.2020

—0—

विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र के अनुक्रम में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :—

01. दिनांक 14.04.2020 तक अलीराजपुर जिले में स्थित किसी भी न्यायालय में कोई कार्य नहीं होगा और अकार्य दिवस घोषित किया जाता है। इस अवधि में केवल अत्यावश्यक मामले (जमानत अवेदन आदि) की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर के द्वारा निश्चित किये गये समय व स्थान पर नामित न्यायिक अधिकारी के द्वारा ही की जावेगी।

02. अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई जिला न्यायाधीश की अनुमति से ही की जावेगी और ऐसी अनुमति प्राप्त करने वाले अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को ही न्यायालय भवन में प्रवेश दिया जावेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर से इस बाबत अनुमति ई—मेल आई.डी. dcourtalrjpr@aij.gov.in पर प्राप्त की जा सकेगी।

इस संबंध में किसी भी अधिवक्ता अथवा पक्षकार द्वारा न्यायालय से संबंधित किसी कार्य के संबंध में डॉ. लखनलाल गोस्वामी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर से मोबाईल नम्बर 9300759188 तथा ई—मेल आई. डी llgoswami@yahoo.co.in एवं सुश्री निकीता चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—02, अलीराजपुर के मोबाईल नम्बर 8962511990, ई—मेल आई.डी. shona.chouhan78@gmail.com तथा श्री एच.पी. पाण्डेय, प्रशासनिक अधिकारी, अलीराजपुर मोबाईल नम्बर 9425192149 ई—मेल आई. डी hp.pandy2016 @gmail.com पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

03. जिन अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को अनुमति दी गई है, उनकी सूची जिला न्यायालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार क्रमांक 01 पर उपस्थित सुरक्षाकर्मी/सिविल न्यायालय भवन जोबट के मुख्य द्वार पर उपस्थित कर्मचारी के पास उपलब्ध रहेगी।

04. विभिन्न आरक्षी केन्द्रों से रिमाण्ड कार्यवाही हेतु तथा जमानत आवेदन पत्रों में केस डायरी लेकर पुलिस अधिकारी / प्रधान आरक्षक / आरक्षक को न्यायालय भवन में दोपहर 01:00 बजे से 02:00 बजे तक प्रवेश दिया जावेगा।

05–(ए) अत्यावश्यक कार्य (रिमाण्ड व जमानत आवेदन–पत्र आदि) की सुनवाई सी.जे.एम. / जे.एम.एफ.सी. के द्वारा जिला न्यायालय भवन में निर्देशित किये गये कक्ष में एवं सत्र न्यायालय / अपर सत्र न्यायालय / विशेष न्यायालय से संबंधित मामलों की सुनवाई निर्देशित कक्ष में दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक की जावेगी।

(बी) अत्यावश्यक कार्य (रिमाण्ड व जमानत आवेदन–पत्र आदि) की सुनवाई सिविल न्यायालय जोबट में नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा एवं अपर सत्र न्यायालय से संबंधित मामलों की सुनवाई निर्देशित किये गये कक्ष में दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक की जावेगी।

(सी) अत्यावश्यक कार्य (रिमाण्ड व जमानत आवेदन पत्र आदि) की सुनवाई हेतु नामित न्यायिक अधिकारियों की सूची पृथक से जारी की जावेगी।

06. समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने–अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहें एवं अपने–अपने मोबाईल फोन निरंतर चालु रखे और सूचित किये जाने पर तत्काल आदेशानुसार उपस्थित रहेंगें।

07. माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर, भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये पत्रों / ज्ञापनों एवं गाईडलाईंस का सख्ती से पालन किया जावेगा।

08. विभिन्न न्यायालयों में दिनांक 31.03.2020 तक जो प्रकरण नियत है उनकी आगामी तिथिया पूर्व में ही सूचित की जा चुकी है। दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 14.04.2020 तक नियत प्रकरणों की आगामी तिथियों की सूचना पृथक से दी जा रही है।

<u>संलग्नः– संदर्भित परिपत्र की प्रति।</u>

sd/-

(कृष्ण गोपाल सुरेका)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीराजपुर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक 420 / सा.अनु. / 2020,   अलीराजपुर, दिनांक 26 / 03 / 2020

प्रतिलिपि :–

01. माननीय रजिस्ट्रर जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. अध्यक्ष,अभिभाषक संघ, अलीराजपुर / जोबट।
03. समस्त न्यायिक अधिकारीगण अलीराजपुर / जोबट की ओर संदर्भित ज्ञापन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी अधिकारी, कंप्यूटर अनुभाग, अलीराजपुर / जोबट, सिस्टम ऑफिसर / आई.टी. असिस्टेंट, अलीराजपुर / जोबट की ओर समस्त न्यायिक अधिकारी गण को ई–मेल से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।
05. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग न्यायालय, अलीराजपुर / जोबट की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि, न्यायालय परिसर के मुख्य द्वार एवं कार्यालय के सूचना पटल पर संलग्न नोटिस चस्पा करवाया जावे।
06. कलेक्टर, जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
07. पुलिस अधीक्षक अलीराजपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करें की निर्धारित समय में ही केस–डायरी व रिमाण्ड आदि प्रस्तुत किये जावे।
08. संचालक, जनसंपर्क संचानालय अलीराजपुर की ओर इस अनुरोध के साथ की सभी दैनिक सामाचार पत्रों में उपरोक्तानुसार समाचार प्रकाशित कराये जाने का कष्ट करें।
09. प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित आवश्यक कार्यवाही सूनिश्चित की जावे एवं समस्त कर्मचारियों को सूचित कराया जाना सुनिश्चित करें।
10. जिला नाजिर / नायब नाजित अलीराजपुर / जोबट की ओर इस निर्देश के साथ की एक प्रति तत्काल न्यायालय परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
11. लेखापाल कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26-3-20

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीराजपुर (म0प्र0)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. Q-5 Jabalpur, dated 25th March, 2020

Sub.: COVID-19 - Nation wide lock down - further directions of Hon'ble the Chief Justice.

Ref.: Order No.Q-1 & Q-2 dated 22.03.2020 and Order No.Q-3 & Q-4 dated 23.03.2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.

The public announcement was made by the Hon'ble Prime Minister of the country on 24/03/2020 imposing a complete lock-down throughout the country. The Order No.40-3/2020-D dated 24th March 2020 along with the annexures has been issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. Subject to the condition contained therein and due to the threat of pandemic Corona Virus and immobilization of the public at large, it has been decided to declare the non-working of the High Court of Madhya Pradesh as well entire Subordinate judiciary of the State of Madhya Pradesh.

In the wake of this unprecedented and uncertain situation, it is directed by Hon'ble the Chief Justice, in addition to the above referred orders, to declare that there shall be no Court work with immediate effect for three weeks till 14/04/2020 (including Holidays from 10/04/2020 to 14/04/2020) in case of High Court of Madhya Pradesh at Principal Seat Jabalpur and its Benches at Indore & Gwalior and till 14/04/2020 (including Holiday on 14/04/2020) in case of all Subordinate Courts and Family Courts across the State of Madhya Pradesh subject to the following:-

Scanned with CamScanner

01- Entry in person to the High Court at Main Seat Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior shall remain prohibited till 14/04/2020. Administrative/Judicial work shall be communicated through Registrar General/Principal Registrar (Judicial) at Main Seat Jabalpur and Principal Registrars at Benches at Indore & Gwalior on their official e-mail I.D.

02- Entry into all Subordinate Courts shall remain prohibited till 14/04/2020 subject to specific permission of the District Judge/ Principal Judge, Family Court or In-charge Officer thereof, as the case may be. The respective Heads shall notify official e-mail I.D. details of Court Manager or Administrative Officer, as the case may be, for any contact by any person including lawyers for either Administrative or Judicial work.

03- All Registry Officers and staff of the High Court Main Seat at Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior as well as all Judicial Officers & staff members of the Subordinate Courts including Family Courts shall remain stationed at their respective place of posting subject to the directions issued by the respective Heads, as the case may be, to carry out urgent or emergent duties.

04- No matter, unless it is urgent or eminently emergent, shall be entertained except with the permission of Hon'ble the Chief Justice in case of the High Court and District Judge or Principal Judge, Family Court or In-charge Officer thereof in case of Subordinate Court or Family Court.

05- On permission being granted, the lawyers / litigants or the concerned person shall be accordingly instructed of the venue and mode of addressing the Court either through Video Conferencing or otherwise.

Scanned with CamScanner

06- All Registry Officers and staff members of the High Court Main Seat at Jabalpur and Benches at Indore & Gwalior and all Judicial Officers & staff members of the Subordinate Courts including Family Courts shall keep their mobile phones and contact numbers in an active mode for receiving and executing any communications issued by their respective superiors for the discharge of their duties.

07- In view of the unpredictable situations, the High Court and Subordinate Courts including Family Courts shall function as per the aforesaid directives until further orders subject to any further decision being taken on administrative side by Hon'ble the Chief Justice.

08- The directions and the guidelines issued by the Central Government and the State Government from time to time shall be followed in letter & spirit by all concerned. A copy of the guidelines issued by the Department of Justice, Government of India on 20/03/2020 and Ministry of Home Affairs, Government of India on 24/03/2020 along with all annexures are being appended herewith for ready reference.

09- Any kind of disobedience and deviation of the aforesaid directions shall be viewed seriously.

BY ORDERS OF HON'BLE
THE CHIEF JUSTICE

25/3/2020
(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

Scanned with CamScanner

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. Q-6 Jabalpur, dated 14th April, 2020

Sub.: Extension of operation of Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 due to extension of Nationwide lockdown announced on 14/04/2020.

Ref.: Order No.Q-5 dated 25/03/2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur (copy enclosed herewith).

In view of the public announcement made by the Hon'ble Prime Minister of the country on 24/03/2020 imposing a complete lock-down throughout the country, Hon'ble the Chief Justice was pleased to issue a Circular No.Q-5 Jabalpur dated 25/03/2020 pertaining to the working of Hon'ble High Court as well as Subordinate Courts in the State, which was communicated to all concerned.

Now as per the announcement made by Hon'ble the Prime Minister on 14/04/2020, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct that the operation of previous Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 shall be extended till 03/05/2020 for High Court Bench at Indore and all the Subordinate Courts including Family Courts in the State of M.P., however, the operation of previous Circular No.Q-5 dated 25/03/2020 shall be extended till 20/04/2020 for High Court Principal Seat Jabalpur and its Bench at Gwalior.

Encl.:
Circular No.Q-5 dated 25/03/2020

BY ORDER OF
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE

14/4/2020
(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL

<u>Copy by e-mail to:</u>

1. Principal Secretary, Law & Legislative Department, State Government of M.P., Bhopal.
2. Registrar-cum-P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice.
3. Secretary to Hon'ble Judges.
4. All District & Sessions Judges and All Principal Judges of Family Courts in State of M.P., with request to further circulate this circular among District Bar Associations, local administration, other Judicial Officers, staff and other stakeholders.
5. Principal Registrar (Judicial), High Court Principal Seat Jabalpur, Principal Registrars, Benches at Gwalior & Indore.
6. Chairman, M.P. State Bar Council, Jabalpur.
7. Advocate General, State of Madhya Pradesh, Jabalpur and Assistant Solicitor General at Jabalpur.
8. President/Secretary, M.P. High Court Bar Association / High Court Advocates Bar Association/ Senior Advocates Council, Jabalpur, Indore & Gwalior.

14/4/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL